

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपालसिंह (आर०ए०एस०)  
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / 56 / 2017

दायर दि० 17.5.17  
फैसल दि० 17.5.17

श्री विमलजी गोवारी अनवान बनाम गुलियाती सह्याय (सागवाडा)  
(वादी) (प्रतिवादी)

वादी श्री विमलजी गोवारी ने वाद प्रस्तुत कर मोजा गोवारी के खाता नम्बर 387 जमाबन्दी सं० 2071-74 में अंकित स्वयं/पिता का नाम विठ्ठलजी गोवारी गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम विमलजी गोवारी है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम विठ्ठलजी गोवारी दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है। प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम विमलजी गोवारी होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार दृसागवाडा/गुलियाकोट को आदेश दिया जाता है कि मोजा गोवारी की जमाबन्दी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 387 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम विठ्ठलजी गोवारी में संशोधन कर सही नाम विमलजी गोवारी दर्ज रेकार्ड किया जावे। निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सागवाडा